विविध बैंक प्र0सं0 37/2017 सिंडिकेट बैंक शाखा 7 बी रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर जरिए मुख्य प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक बनाम 1–मैं0 ए एण्ड ए लोजिस्टिक्स, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 2–अश्वनी भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 3–अनिल भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 4–श्रीमति स्वेता भल्ला पत्नि अश्वनी भल्ला, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 5–श्री तरूण खन्ना पुत्र श्री राकेश कुमार खन्ना, 7–सी–32, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.11.2017

प्रार्थी सिंडिकेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी सिंडिकेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैं0 ए एण्ड ए लोजिस्टिक्स, आर एफ–2, रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार मय गारन्टर 1–अश्वनी भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 2–अनिल भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 50,00,000/– रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र) ऋण दिनांक 15.10.2013 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति स्वेता भल्ला पत्नि श्री अश्वनी भल्ला, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर ने अपना रिहायशी मकान न0 एफ–2, मुरब्बा न0 27, किला न0 9, चक 7ई छोटी, श्रीगंगानगर साईज 30'X60' वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.06.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 01.08.2016 तक ऋण राशि 51,47,058.80 रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 11.08.12.2016 को जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है। इसलिए अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति स्वेता भल्ला पत्नि श्री अश्वनी भल्ला द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया रिहायशी मकान न0 एफ–2, मुरब्बा न0 27, किला न0 9, चक 7ई छोटी, श्रीगंगानगर साईज 30'X60' वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा 7 बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 50,00,000/–रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र) ऋण दिनांक 15.10.2013 को अप्रार्थी अप्रार्थी मैं0 ए एण्ड ए लोजिस्टिक्स, आर एफ–2, रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार मय गारन्टर 1–अश्वनी भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 2–अनिल भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति स्वेता भल्ला पत्नि श्री अश्वनी भल्ला, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर ने अपना रिहायशी मकान न0 एफ–2, मुरब्बा न0 27, किला न0 9, चक 7ई छोटी, श्रीगंगानगर साईज 30'X60' वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 11.08.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि बैंक द्वारा अप्रार्थी मैं0 ए एण्ड ए लोजिस्टिक्स, आर एफ–2, रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार मय गारन्टर 1–अश्वनी भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 2–अनिल भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर एवं गारन्टरस के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से बैंक द्वारा नोटिस भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें दिनांक 19.08.2016 एवं पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण के विवरण पत्र अनुसार अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गारन्टरस को नोटिस दिनांक 20.08.2016, 22.08.2016, 04.10.2016 को वितरण हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी मैं0 ए एण्ड ए लोजिस्टिक्स, आर एफ–2, रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार मय गारन्टर 1–अश्वनी भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर 2–अनिल भल्ला पुत्र स्व0 श्रीनाथ भल्ला, आर आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर एवं गारन्टरस द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया गारन्टर स्वेता भल्ला पत्नि श्री अश्वनी भल्ला, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया रिहायशी मकान न0 एफ–2, मुरब्बा न0 27, किला न0 9, चक 7ई छोटी, श्रीगंगानगर साईज 30'X60' वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

सा०/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

अतः सिंडिकेट बैंक शाखा 7 बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति स्वेता भल्ला पत्नि श्री अश्वनी भल्ला, आर एफ–2 रिद्धि सिद्धि इन्क्लेव–1 हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर द्धारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया रिहायशी मकान न0 एफ–2, मुरब्बा न0 27, किला न0 9, चक 7ई छोटी, श्रीगंगानगर साईज 30'X60' वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2039-40
20/11/17

यह आदेश आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/- 7/11/17

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर